न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला – पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या :– **55/2018**
आर.सी.एम.एस. :– **2018/00038**
दायर तिथि :– **10.07.2018**
तारीख निर्णय :– **15.01.2020**

प्रार्थीगण :–

1. हिराराम पुत्र हिम्मताजी
   जाति – खटीक, निवासी – कोसेलाव
   तहसील – सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. भबूत पुत्र वनाजी
2. रिखबा पुत्र वनाजी
3. भीमा पुत्र वनाजी के का.मु.
   3/1 मंगलाराम पुत्र स्व. भीमाराम
   3/2 सावलाराम पुत्र स्व. भीमाराम
   3/3 भंवरी पुत्री स्व. भीमाराम
   जातिगण – खटीक, निवासीगण – कोसेलाव
   तहसील – सुमेरपुर, जिला – पाली
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी.

निर्णय तिथि : 15.01.2020

वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। बहस सुनी गयी।
प्रार्थना पत्र में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

1. सरहद मौजा कोसेलाव तहसील सुमेरपुर में प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि गत खसरा नं. 197 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा जिसके नये खसरा नं. 540 रकबा 2.34 हैक्टेयर हैक्टेयर आयी हुई स्थित है। उपरोक्त खातेदारी भूमि पूर्व में जवानमल पुत्र देवाराम, दुदा चुन्नीलाल उर्फ चुनाराम एवं वोरीलाल उर्फ वोराराम पिता जवानमल खटीक निवासी बिसलपुर के नाम से थी। जिन्होनें उक्त खातेदारी भूमि दिनांक 22.06.2017 को भीमा 1/3, भबुता 1/3 रकबा 1/3 पुत्रगण वनाजी जाति खटीक निवासी कोसेलाव को रजिस्टर्ड बेचान कर दी जो क्रमशः सब रजिस्ट्रार बाली ने दिनांक 16.081979 का पुस्तक सं. 1 जिल्दी नं. 40 क्रम सं. 961 पृष्ठ सं. 43 से 44 को दिनांक 16.08.1979 पुस्तक सं. 1 जिल्द नं. 40 क्रम सं. 41, 42 एवं 16.08.1979 पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 40 क्र.सं. 959 पृष्ठ सं. 39 से 40 पर पंजीबद्ध है। उक्त भूमि पर वक्त खरीद से ही प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है।
2. प्रतिवादी सं. 1 लगाय 3 ने न्यायालय के समक्ष खातेदारी हक का गलत वाद पेश कर न्यायालय से डिक्री लेकर प्रतिवादी प्रतिवादी सं. 3 से मिलीभगत कर अपने हक में खातेदारी दर्ज करवा दी गयी है जो गैर कानूनी तरीके से करवायी है। प्रतिवादी सं. 4 तहसीलदार को जानकारी होते हुये भी प्रतिवादी सं. 1 लगाय 3 का नामान्तरकरण कर खातेदारी दर्ज की है।
3. प्रतिवादी सं. 1 लगाय 3 द्वारा गैर कानूनी तरीके से खातेदारी दर्ज कराने से वादी के लगातार पुराने कब्जे व काश्त में दखलन्दाजी करने हेतु उतारू होने से तथा वादी को बार बार वादी के कब्जे व काश्त में दखलन्दाजी एवं अतिक्रमण करने की चेष्ठा करने की नियत वादी के कब्जे व काश्त में दखलन्दाजी करने एवं खातेदारी के आधार पर अन्यों को बेचान करने से प्रतिवादी सं. 1 लगाय 3 को रोका जाने हेतु वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश है। प्रार्थी का पुराना वक्त रजिस्टर्ड बेखरीद से भूमि पर कब्जा व काश्त है।

लगातार पेज 2.....

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2020.02.13 18:44:17 IST
Reason: SelfAttested